



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-03.12.2025

विषय:- “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना शिवपुर मे पंजीकृत दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 11,000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा।

थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0504/2017 धारा 376, 506 भा0द0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 01- राजकुमार पाल पुत्र मुंशी पाल निवासी- गुरुग्राम, थाना कासर, हरियाणा स्थाई पता- अन्हारीपुर, थाना सुहबल, गाजीपुर को प्रभारी निरीक्षक शिवपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-03.12.2025 को माननीय न्यायालय वि0 न्या0 पॉक्सो-III जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त राजकुमार पाल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 506 भा0द0वि0 में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से तथा धारा ¾ पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन  
कमिश्नरेट वाराणसी।